SPEED POST

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. RU-IV/Maha(VC)/Tour/2017 Dated:15-02.2018

To

1. The Chief Secretary,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

2. The Secretary,
Tribal Welfare Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya Annexe,
Mumbai -32.

3. The Secretary,
Ministry of Tribal Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Maharashtra State from 11.10.2017 to 13.10.2017

Sir/Madam,

I am directed to enclose copy of Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to Maharashtra State from 11.10.2017 to 13.10.2017 for necessary action.

It is requested that action taken/to be taken in the matter may be sent to the Commission

Yours faithfully,

DSKumbhare 15-1-2018
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary

Copy for information and necessary action to:-

The District Collector,
District – Yavatmal,
(Maharashtra)

1328-31
20/2/18

जारी किया
ISSUED

O/c

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

का दिनॉक 11 अक्टूबर 2017 से 13 अक्टूबर 2017 तक जिला यवतमाल महाराष्ट्र

प्रवास - प्रतिवेदन

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों का नाम	**1) सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार** **2) श्रीमती माया चिंतामण इवनाते सदस्य** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार** **1) श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** **सहायक निज सचिव** **उपाध्यक्ष,** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार**
2. दौरा की तिथि दिन दिनॉक वर्ष	**दिनॉक 11 अक्टूबर 2017 से 13 अक्टूबर 2017 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**जिला यवतमाल महाराष्ट्र**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	श्री मानिकराव ठाकरे उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद
2)	श्री अशोक राव जी उइके अध्यक्ष आदिवासी कल्याण समिति महाराष्ट्र
3)	श्री राजू चान्देकर, अध्यक्ष बिरसा पर्व समिति यवतमाल
4)	श्री गुलाबराव कुडमेथे कार्याध्यक्ष बिरसा पर्व समिति यवतमाल
5)	श्री नरेन्द्र पोयाम, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे
6)	श्रीमती कीर्ति बहन आदिवासी श्रमिक महिला मंच पालघर
7)	श्री अशोकराव चौधारी आदिवासी विकास परिषद गुजरात
8)	श्री आनन्दराव आर कोचे इन्दौर
9)	श्रीमती लक्ष्मीताई बसावा
10)	श्रीमती पुष्पाताई आत्राम
11)	श्रीमती मीनाक्षीताई बटटी
12)	श्री बन्धु मेश्राम
13)	श्री पवन भाउ आत्राम
14)	श्री बाबाराव मडावी
15)	श्री शैलेश गाडेकर,
16)	श्री राजू केराम
17)	श्रीमती सुमित्राताई बसावा वकील
18)	श्री कृष्णा पुशनाके
19)	श्री सुधाकर मेश्राम,
20)	श्री उत्तम आत्राम
21)	कार्यकम स्थल समता मैदान यवतमाल में करीब 4000 जनजाति समाज के व्यक्ति एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. **<u>दौरा के मुख्य बिन्दु</u>**

- ❖ यवतमाल में बिरसा पर्व 2017 में भाग लिया।
- ❖ यवतमाल कार्यक्रम स्थल समता मैदान में जनजाति एवं आमजनों से भेंट,
- ❖ यवतमाल विश्राम भवन में आमजनों एवं जन प्रतिनिधियों से भेंटकर समस्या सुनी।

<u>यवतमाल विश्राम भवन</u>

	1. दिनाँक 12 अक्टूबर 2017 नागपुर से यवतमाल के लिये प्रस्थान। यवतमाल विश्राम भवन में जनजाति प्रतिनिधियों एवं जनजाति वर्ग के सदस्यों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से भेंटकर विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई।
	2. विभिन्न जनजाति संगठनों एवं व्यक्तियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया।
	3. महाराष्ट्र शासन के पुलिस अधिकारियों एवं मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को इस प्रवास की सूचना वायरलेस के माध्यम से प्रदान की गई थी जिसके वितरित होने की भी पुष्टि हो गई है,किन्तु देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में प्रशासन द्वारा अपेक्षित प्रोटोकाल का पालन नहीं किया जा रहा है। **4.** यवतमाल में जिला प्रशासन अथवा ट्रायबल विभाग का कोई भी सक्षम अधिकारी विश्राम भवन में या कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित नहीं था और न ही अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई। **5.** जबकि इस संबंध में सूचना नागपुर के ट्रायबल विभाग के परियोजना अधिकारी एवं अन्य अधिकारी द्वारा समय पर यवतमाल को अवगत करा दिया गया था। इसी प्रकार से आयोग की सदस्य के निज सचिव द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से सन्देश संबंधितों को प्रदान किये गये थे। **6.** ट्रायबल विभाग द्वारा केवल एक वार्डन तथा एक अधीक्षक को भेजा गया था जिन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से प्रवास में व्यवधान उत्पन्न होता है और आयोग की मंशा अनुरूप परिणाम नहीं मिलता। **7.** इस संबंध में आयोग से उपयुक्त कार्यवाही अपेक्षित है।
	8. ग्राम रुई जिला यवतमाल की ग्रामीण महिला श्रीमती मन्नाबाई एवं श्रीमती सुमेनबाई मडावी जो कि ग्रामीणों द्वारा गठित शराबबन्दी समिति में अध्यक्ष रहकर कार्य करती हैं अवगत कराया गया कि ग्राम में बड़े पैमाने पर लगभग 25 से 30 व्यक्तियों द्वारा आरन नदी में अवैध शराब का निर्माण किया जाता

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

है और बेचा जा रहा है। इस शराब में ऐसे जहरीले तत्व भी मिलाए जाते हैं जिनसे मानव की मृत्यु भी हो सकती है। इस संबंध में उनके द्वारा पुलिस विभाग को भी सूचित किया गया है किन्तु पुलिस द्वारा भी साँठ गाँठ कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे जनजाति समाज में भटकाव हो रहा है, तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है।

9.

(बिरसापर्व 2017 यवतमाल महाराष्ट्र में जनजाति महिलाओं एवं प्रमुख आयोजकों से चर्चा एवं समस्या सुनते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

10. स्थानीय जनजाति प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों द्वारा अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र के ग्राम कलम एवं रालेगाँव में विगत दिनों करीब 22 जनजाति खेतीहर मजदूरों एवं किसानों की अमनक कीटनाशकों के छिड़काव खेतों में करने से आकस्मिक मृत्यु हुई है, जिसकी एसआईटी द्वारा जाँच की गई थी किन्तु जाँच में जो परिणाम आए हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। इस टाईप के खतरनाक कीट नाशकों एवं उपकरणों की बिक्री बड़े पैमाने पर क्षेत्र में चल रही है जिसे सख्ती से रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जनजाति वर्ग के जो खेतीहर मजदूर एवं किसानों की आकस्मिक मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ ही जाँच के वास्तविक तथ्यों से आयोग को सूचित किया जावे तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये भी व्यापक उपाए किये जाने चाहिए।

11. महाराष्ट्र के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में कोलाम जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं जिनमें शिक्षा का अभाव है जिसकी वजह से पति पत्नी दोनों ही अत्याधिक शराब पीने के आदी है जिसकी वजह से परिवार में विवाद होता है और बाद में परिवार में बिखराव एवं अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। शराब की वजह से असमय मृत्यु भी हो रही हैं क्योंकि जो शराब अवैधरूप से उस क्षेत्र में बिकती और बनती है उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा जहरीले रसायनों को मिलाया जाता है। इस दिशा में समाज सुधार, शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है तथा पुलिस द्वारा भी शराब बनाने से रोकने के लिये कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

12. जनजाति समाज के व्यक्तियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल रही है। साथ ही शासकीय योजनाओं में

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जनजाति युवाओं को लोन नहीं दिया जा रहा है। जिसकी वजह से वे अपने जीवन यापन के लिये उद्योग व्यापार स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

13. बिरसा पर्व कार्यक्रम स्थल पर जनजाति समाज के सदस्यों द्वारा औपचारिक स्वागत किया गया।

(बिरसापर्व 2017 यवतमाल महाराष्ट्र में उपस्थित जनसमुदाय)

16. बिरसापर्व के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंच से विभिन्न जनजाति व्यक्तियों जो कि शिक्षा, समाज सुधार, जनजाति कल्याण, महिला उत्थान इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त किये गये।

17.

(बिरसापर्व 2017 समाता मैदान यवतमाल महाराष्ट्र में कार्यक्रम स्थल एवं पंडाल पर उपस्थित आगंतुकों के साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

18. उपस्थित जनजाति समाज के बुद्धिजीवियों एवं अन्य वक्ताओं द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये उसके आधार पर प्रमुख तथ्य जो सामने आए वे इस प्रकार से हैं:-

A. जनजाति समाज को अपने अधिकारों के लिये गैर कानूनी उपायों के बजाए प्रेम और बुद्धि की लडाई लडना चाहिए।

B. समाज सुधार के लिये नशा को बंद कराना जरूरी है। इसके लिये जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

C. जनजाति समाज सदैव महिलाओं का सम्मान करता आया है उनके साथ बलात्कार एवं अनैतिक कृत्य आदिवासी सँस्कृति नहीं है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

D. बिरसा मुंडा एक महान समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त, कॉंतिकारी, कुरीतियों के विरोधी महान व्यक्ति थे। हमें उनकी शिक्षा को ग्रहण कर अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए।

E. जनजाति समाज के व्यक्तियों में सभी क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है। प्रतिभा को पहचान कर उसे सही स्थान पर लगाने से समाज का विकास होगा।

F. 6 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जन-जातियों के लिये निर्णय दिया है उसका पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की है।

G. शासकीय सेवाओं में एवं विभिन्न संस्थानों में बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र प्राप्त कर जनजातियों को मिलने वाले लाभ लेकर जनजातियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस प्रकार के फर्जी जाति प्रमाणपत्र धारकों की पहचान कर तत्काल कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

H. ऐसे सभी व्यक्तियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर उनके द्वारा प्राप्त किये गये सभी लाभ वापिस वसूल किये जाने की आवश्यकता है। शासन स्तर से तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

I. भारतीय संविधान में जनजातियों को प्रदत्त विशेष संरक्षण एवं प्रावधानों का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस ओर शासन स्तर से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

J. संविधान की मूल भावना एवं प्रावधानों के अनुसार जनजाति क्षेत्रों में सभी प्रकार के नियम कानून, प्राकृतिक संपदा पर निर्णय का अधिकार जनजातियों को ही दिया गया है किन्तु इसके विपरीत हो रहा है। इस ओर शासन द्वारा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है।

K. पेसा कानून, वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर विचार कर आवश्यक संशोधन सुधार करने की आवश्यकता है।

L. जनजाति समाज की महिलाओं का बड़े स्तर पर दैहिक शोषण हो रहा है जिसे रोकने एवं उनकी सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता है। इस समस्या पर सरकारों द्वारा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

M. महिलाओं के शोषण की समस्या सबसे अधिक, झारखंड, छत्तीसगढ, उत्तर पूर्व के राज्यों में है।

N. जनजाति समाज के पुरुष नशा एवं व्यसन में डूबकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है और महिलाओं में विधवाओं की संख्या बढ रही है। इस समस्या को शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, कुरीतियों को दूर कर किया जा सकता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

O. आदिवासी समाज में सदैव से महिला पुरूष बराबरी से मिलकर काम करते रहे हैं जिसकी वजह से जनजाति सँस्कृति उत्तम थी और प्राचीन काल में उसके साम्राज्य स्थापित थे, इस स्थिति को पुनः लाने के लिये महिलाओं की भागीदारी बढाने की आवश्यकता है।

P. वर्तमान में जनजाति समाज की चुनौतिया जो हैं उनमें नेतृत्व की कमी, क्षमता वृद्धि, शोषण को समाप्त करना जैसे कार्यो की आवश्यकता है।

Q. महाराष्ट्र में 500 आश्रम शासन चलाती है तथा लगभग 500 आश्रम एनजीओ द्वारा संचालित किये जाते हैं। ये सभी आश्रम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ पर व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से आश्रमों में निवास करने वाले बच्चों की प्राकृतिक आपदा जैसे सर्पदंश, बिच्छु के काटने इत्यादि से मौत होती है। इन आश्रमों में सुरक्षा व्यवस्था अथवा इन्हें तालुका स्थल पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

19. जनजाति समाज के व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि हलवा कोष्टा / हलवी कोष्टी / कोष्टी समाज के व्यक्ति जनजाति वर्ग के नहीं हैं। किन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण इस समाज के व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में जाति प्रमाणपत्र प्राप्त कर जनजाति वर्ग का लाभ लेकर उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें निर्णय भी आ चुका है। इसलिये निर्णय के अनुसार शासन स्तर से समुचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष का मार्गदर्शन

20. उपस्थित जनजाति वर्ग के बुद्धिजीवियों एवं समाज के जनसमूह को निम्नानुसार मार्गदर्शन दिया गया और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया :-

A. मुख्य कार्यक्रम बिरसा पर्व पर आयोजित किया गया था। इस दृष्टि से मेरे द्वारा जनजाति समाज के आदर्श महान देशभक्त, समाज सेवक और कॉतिकारी भगवान बिरसामुंडा जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किये गये कार्यो से जनजाति समाज को परिचित कराते हुए आहवान किया गया कि हमें बिरसामुंडा जी के द्वारा बताए आदर्शो पर चलना चाहिए।

B. अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में उपस्थित जनसमूह से पूछने पर अधिकाँश द्वारा आयोग के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग जिनके लिये, जिन्हें शोषण एवं अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिये बनाया गया है उन्हें ही इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह स्थिति उपयुक्त नहीं हो सकती है। इस पर आयोग को

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विचार करने की आवश्यकता है।

C. मैंने अपने मार्गदर्शन में आयोग के गठन, कार्यप्रणाली, अधिकार, तथा जनजाति समाज आयोग से किस प्रकार संरक्षण प्राप्त कर सकता है इसके बारे में बिस्तार से अवगत कराया गया।

D. साथ ही मैंने आयोग में जिन व्यक्तियों ने अपने आवेदन / अपील प्रस्तुत कर अपना समस्याओं का निराकरण पाकर लाभ प्राप्त किया है उनसे उदाहरणों के माध्यम से अवगत कराते हुए, शोषित, पीडित, व्यक्तियों को आयोग से संपर्क कर अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिये मार्गदर्शित किया गया।

E. जनजाति समाज को जागृत करने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिये समझाईश दी गई।

F. हलबा कोष्टी / हलबी कोष्टी / कोष्टी समाज के व्यक्तियों के फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों तथा भारत सरकार के डी.ओ. पी.टी. के निर्देश तथा अंतिम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जन-जातियों में व्याप्त भ्राँतियों को दूर किया गया तथा इसमें आयोग की भूमिका तथा आयोग के विचारों से अवगत कराते हुए समाधान किया गया।

(बिरसापर्व यवतमाल में मार्गदर्शन करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष)

(बिरसापर्व यवतमाल में सम्मान एवं प्रतिभा सम्मान का अवसर)

Anuiya

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	• प्रोटोकाल के संबंध में महाराष्ट्र में हो रही तथा यवतमाल में हुई लापरवाही के लिये संबंधित मुख्य सचिव, पुलिस विभाग जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक इत्यादि को कार्यवाही के लिए लिखा जाए। • अवैध शराब निर्माण एवं ब्रिकी पर रोक लगाने हेतु पुलिस विभाग महाराष्ट्र को लिखा जावे। • आश्रमों की व्यवस्था सुधारने हेतु समाज कल्याण विभाग को पत्राचार किया जावे। • शराब छोडने के लिये, शिक्षा के प्रचार प्रसार, इत्यादि के लिये जागरूकता के लिये कार्यकम चलाए जावें। इस प्रकार की अनुशंसा महाराष्ट्र शासन से की जावे। • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की गतिविधियों तथा उसके कार्यकलापों का प्रचार प्रसार जनजाति समाज में करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जावे। कार्यवाही आयोग से अपेक्षित। • जनजाति समाज की महिलाओं का शोषण रोकने के लिये लागू एवं निर्मित कानूनों का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित किया जावे। • फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर और तत्काल कार्यवाही करने के लिये भारत सरकार अथवा सभी राज्यसरकारों का लिखा जावे। • हलबा कोष्टी / हलबी कोष्टी / कोष्टी समाज के व्यक्तियों के फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के संबंध में भारत सरकार को शीघ्र कार्यवाही के लिये लिखा जावे। • भारतीय संविधान में जनजातियों को प्रदत्त विशेष संरक्षण एवं प्रावधानों का पालन ठीक से कियान्वित कराने हेतु भारत सरकार को लिखा जावे। • जनजाति के व्यक्तियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को समय पर वितरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये महाराष्ट्र शासन को लिखा जावे।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक :–

1. समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार।

* अकोला, बुलढाणा वाशिम एकत्रित खप

नागपूर सोमवार, दि. १[illegible] [illegible]र २०१७ पृष्ठे ८+८ मूल्य ₹: ५

आदिवासींचे हक्क कुणालाही हिरावून घेता येणार नाही : खा. अनुसया उईके

* झरीतील कुमारी मातांचा प्रश्न गंभीर * अन्यायाची तक्रार राष्ट्रीय अनुसूचीत जनजाती आयोगाकडे करा

प्रतिनिधी/ १२ नोव्हेंबर

यवतमाळ : बिरसा पर्व २०१७ च्या समारोपीय कार्यक्रमाच्या उद्घाटक राष्ट्रीय अनुसूचीत जनजाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष खा. अनुसया उईके यांनी आदिवासींनी आपल्या हक्कासाठी जागरुक राहावे, लढा उभारण्यासाठी तयार असले पाहीजे तरच हक्क मिळविता येतील असे आपल्या भाषणामध्ये सांगीतले. कुठल्याही आदिवासीवर अन्याय झाला तर त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचीत जनजाती आयोगाकडे दाद मागावी असे आवाहन केले.

बिरसा पर्वाच्या समारोपीय कार्यक्रमामध्ये खा. अनुसया उईकि, माया ईवनाते, किर्ती वर्धा, ना. मानिकराव ठाकरे, नरेंद्र पोयाम (आयएएस), अशोक चौधरी, बाबाराव मडावी, आनंदराव कोवे, किरण कुमरे, म. मा. आत्राम, गुलाबराव कुडमेथे, पवन आत्राम, प्रा. माधव सरकुंडे, सुनिल ढाले, वैशाली कन्नाके, चंद्रकला मडावी उपस्थीत होते. खा. अनुसया उईकि यांनी उद्घाटनपर भाषणामध्ये राष्ट्रीय अनुसुचीत जनजाती आयोगाचे महत्व समजावुन सांगीतले. आयोगाचे अधिकार क्षेत्र व कार्यक्षेत्राची

ओळख बिरसा पर्वामध्ये करुन दिली. आदिवासींसंदर्भातील कुठलाही निर्णय घ्यायचा असले तर जनजातीचा दर्जा मिळविण्यासाठी पडताळणी करुन आयोगाकडे येतो, आयोग त्यामध्ये आपले महत्वपुर्ण अभिप्राय जोडल्यानंतरच उचीत बदल करुन कायदा लागु केला जातो.

१० ऑगस्ट २०१० च्या निर्णयानुसार हलबा, हलबा कोष्टी, हलबी कोष्टी या जात प्रवर्गातील ज्या नागरीकांनी आदिवासीच्या आरक्षणाचा शासकीय सेवामध्ये लाभ घेतला त्यांना तातडीने सेवेतून बरखास्त करावे, रिक्त होणाऱ्या जागांवर आदिवासींना संधी दयावी याकरिता मंत्रालय विभागाच्या मुख्य सचिवांना १ महीन्यात कारवाई करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याचे खा. उईके यांनी सांगीतले. त्याचप्रमाणे ६ जुलै २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाच्या सुचनांची अंमलबजावणी करुन कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे सांगीतले.

आदिवासी महीलांच्या सशक्तीकरणासाठी बजेट बनविण्यात आले आहे. जिल्हयातील आदिवासी क्षेत्रातील झरी तालुक्यामध्ये कुमारी मातांचा गंभीर प्रश्न असल्याचे आपणास माहीती होताच, त्यांना आर्थिक मदत व त्यांच्या मुलांना शैक्षणीक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहे. ईतर कुठी कुमारी माता वंचीत असतील तर त्यांची माहीती देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणीक शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब होत असल्याचा प्रकार गंभीर असुन केंद्राकडून निधी प्राप्त होत असताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासुन वंचीत का ठेवण्यात येत [illegible] याची माहीती घेणार असल्याचे खा. अनुसया उईके यांनी सांगीतले. कुठल्या आदिवासींचे हक्क डावलल्या जात असतील तर त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचीत जन जाती आयोगाकडे तक्रार [illegible] असे आवाहन बिरसा पर्वाच्या उद्[illegible] खा. अनुसया उईके यांनी केले.

[illegible] कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा माया ईवना[illegible] प्रमुख वक्ते किर्ती वर्धा, ना. मानिकराव ठाक[illegible] पोयाम यांनी आपले विचार व्यक्त केले. [illegible] दोन दिवशीय बिरसा पर्वाचा समारोप कर[illegible] आला. कार्यक्रमाचे आयोजन राजु था[illegible] प्रफुल्ल आडे, शैलेश गाडेकर, रेखा कन्ना[illegible] मसराम, राजु केराम, कृष्णा पुसन[illegible] प्रमोद घोडमसह अनेक समा[illegible]नी केले.

नागपूर, सोमवार, दि. १३ नोव्हेंबर २०१७

बोगस आदिवासींवरील कारवाईचा अहवाल मागितला

अनसूयाताई उईके यांची माहिती : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

यवतमाळ : खऱ्या आदिवासींच्या चार ते पाच लाख नोकऱ्यांवर बोगस आदिवासींनी ताबा मिळविला. या गैर आदिवासींची नोकरीतून हकालपट्टी करून महिनाभरात अहवाल देण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने केंद्र व राज्य शासनाला दिले असल्याची माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष अनसूयाताई उईके यांनी यवतमाळात दिली.

राज्यस्तरीय पहिल्या बिरसा पर्वानिमित्त त्या यवतमाळात आल्या होत्या. या पर्वात उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी ही माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, नुकतीच आपल्या अध्यक्षतेखाली ११ नोव्हेंबरला दिल्लीत आयोगाची बैठक झाली. या बैठकीला केंद्र व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत बोगस आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींच्या जागेवर नोकऱ्या बळकावल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावरून केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींना बोगस आदिवासींना नोकऱ्यातून हाकलून लावण्याचे आदेश दिले. तसेच याबाबतचा अहवाल येत्या महिनाभरात सादर करण्याचेही आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने २०१० मध्ये खऱ्या आदिवासींना न्याय देण्यासाठी त्यांच्या जागी नोकरीत लागलेल्या बोगस आदिवासींच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे निर्देश दिले. आता नुकतेच ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस आदिवासींचे पद रिक्त करण्याचे आदेश दिले.

या दोन्हीबाबत आयोगाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शन मागविले होते. त्यासाठी आयोगाची बैठक झाली. त्यात बोगस आदिवासींवर कारवाई करून त्यांना पदावरून कमी करावे, असे निर्देश आयोगाने केंद्र आणि राज्याला दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे लवकरच बोगस आदिवासींवर कारवाई होईल, असा विश्वासही अनसूयाताई उईके यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारणार

आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणे अवघड होत आहे. हा गंभीर विषय असून यासंदर्भात सरकारने पाऊले उचलली नाही, असा आरोप अनसूयाताई उईके यांनी केला. याबाबत आपण थेट मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्याची आत्महत्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कृषिपंपांची थकबाकी १९ हजार कोटींच्या घरात

महावितरण : 'संजीवनी'योजनेवर ...